

का.आ. 1121(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० सा० आ० 739 (अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कु० राजश्री परमार मेमोरियल फाउन्डेशन” ममता” , 289, टिम्बर मार्केट, रोड, महात्मा फुले पथ, पुणे-411042 द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा परियोजना की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कु० राजश्री परमार मेमोरियल फाउन्डेशन” ममता” , 289, टिम्बर मार्केट, रोड, महात्मा फुले पथ, पुणे-411042 द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तीस लाख रूपयों की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।